न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 33/11 तारीख रजू 29.6.11

उनवान - रूपनारायण V/S श्रीकिशन वगैरा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओरसे श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी कर पत्रावली दिनांक 12.7.11 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

जारी
2152-56
1-7-11

12/7/11 प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर R.B. Gupta Adv. ने वकालतनामा व जवाब प्रा.पत्र मय पेश किया। नकल दिलाई गई। PO सा. भ्रमण पर होने के कारण आदेशार्थ दिनांक 15/7/11 को पेश हो।

15/7/11 उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दर० ना. दि० 27/7/11 को पेश हो।

27/7/11 उभयपक्ष उपस्थित। SDO साहब मीटिंग में करौली पधारे हैं। अताकुमार पत्रावली दिनांक 24/8/11 को पेश हो।

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 –33/11
तारीख रजू –

उनवान

(मृतक) रूपनारायण पुत्र चिम्मन जाति सैन निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली
1/1 जगमोहन
1/2 जगदीश
1/3 सुरेश
1/4 धारा
1/5 मुकेश
1/6 भम्बो पुत्र रूपनारायण
1/7 दुलारी पत्नि रूपनारायण
समस्त जाति सैन निवासी बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली –सायलान

बनाम

1.श्रीकिशन पुत्र रामसिंह
2.रमेश पुत्र रामसिंह
3.श्रीफल पुत्र रामसिंह
4.श्रीमन पुत्र रामसिंह
5.रामकेश पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम –गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति
श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट – वकील सायल
श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – वकील गैरसायलान

दिनांक :– 30.09.2015

निर्णय

सायल ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा मे इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 1650 रकवा 0.51 हेक्टयर, 1651 रकवा 0.51 हेक्टयर ग्राम बौल तहसील टोडाभीम मे स्थित है उक्त मौजूदा खसरा नम्बरान सेटलमेन्ट कर्मचारीयो द्वारा दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नं0 1172 रकवा 2 वीघा, तथा खसरा नं0 1173 रकवा 2 वीघा से बनाकर तरमीम कर अंकित किये है। सायल का सजरा इस प्रकार है। भोला के दो पुत्र श्रीमन, चिम्मन है,

Scanned by CamScanner

चिम्मन के रूपनारायण व कैला, कैला के रामस्वरूप, हजारी, चरणसिंह है। आराजीयात मुतजिका प्रार्थनापत्र हमेशा से बजमाने बुजुर्गान से पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायल नं0 दावे के प्रतिवादी नं0 6, 7, 8 के कब्जे काश्त मे रही है उक्त आराजी पर आज पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायल नं0 दावे के प्रतिवादी 6, 7, 8 काबिज व दखिल है तथा इससे पूर्व उनके पिता चिम्मन तथा ताउ श्रीमन का कब्जा काश्त रहा है जो खसरा गिरधावरी सम्वत् 2009 से 2033 से पूर्ण रूपेण साबित है। आराजीयात मुतजिका प्रार्थनापत्र की खातेदारी आज गैरसायलान के नाम दर्ज है भौती फोत हो चुकी है जबकि गैरसायलान का उक्त भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नही रहा है ना आज है उक्त भूमि पर पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण तथा दावे के प्रतिवादी नं0 6, 7, 8 हमेशा से काबिज रहे है तथा आज भी काबिज है तथा उक्त भूमि पर पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायल दावे के प्रतिवादी 6, 7, 8 से पूर्व उनके बुजुर्गान पिता तथा ताउ काबिज तथा दखिल रहे है। गैरसायलान पैसे वाले, डण्डे वाले तथा राजनीतिक पहुच रखने वाले है पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण को हैरान व परेशान कर उसकी जमीन जायदाद को हडप करना चाहते है जबकि उक्त भूमि से उनका कोई संबंध कभी भी किसी भी प्रकार का नही रहा है तथा उक्त भूमि पर पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायलान दावे के प्रतिवादी 6, 7, 8 तथा उनके बुजुर्ग सैकडो साल से यानि राज0टी0एक्ट 1956 फोर्स मे आने से पूर्व काबिज व दखिल रहे है तथा आज भी काबिज है। उक्त भूमि पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायल नं0 5 एवं दावे के प्रतिवादी 6, 7 के पिता तथा ताउ के यहा रा0टी0एक्ट फोर्स मे आने के समय से पूर्व से ही रहन रखी थी तथा उसी से लगातार काबिज थे तथा उनके मरने के बाद उनके वारिस काबिज एवं दखिल है मगर सेटलमेन्ट कर्मचारीयो द्वारा दौराने सेटलमेन्ट गैरसायल नं0 1 ता 5 से तथा उनके पिता से साज करके सेटलमेन्ट के बाद की जमाबंदी मे रहन, मुतर्हन का नोट हजफ करवा दिया जबकि उन्हे ऐसा करने का कोई अधिकार नही था उक्त जमाबंदी 2037 से 2040 की जमाबंदी मे नोट अंकित है तथा पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण के पिता के फौत होने के बाद के कॉलम 12 मे चिम्मन फौत हो चुका है उनकी जगह रूपनारायण, कैला पिसराम चिम्मन के नाम जरिये नामान्तकरण सं0 924 दिनांक 07.01.1983 स्वीकार हुआ। पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायल दावे के प्रतिवादीगण 6, 7, 8 आज उक्त भूमि पर काबिज है तथा पूर्व मे उनके बुजुर्ग सैकडो वर्षो से काबिज थे इस प्रकार पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण व गैरसायल नं0 दावे के प्रतिवादी 6, 7, 8 बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, एडवर्स पजेशन एवं लॉर्ग टर्म्स पजेशन के आधार पर खातेदारी कराने के मुस्तहक है तथा गैरसायल नं0 1 ता 5 का नाम खातेदारी से हलफ फरमाया जायें। बाका दिनांक 25.06.2011 को सुबह करीब 9 बजे का है कि पिता व पति सायल नं0 1/1 व 1/7 रूपनारायण अपने हिस्से की आराजी को अगली फसल के लिये तैयार कर रहा था के गैरसायलान एकराय होकर आये तथा गाली गलौच कर कहने लगे कि ये जमीन हमारी खातेदारी मे है। तू इसे खाली करके हमे कब्जा देदे इस पर पिता व पति सायल नं0 1/1 ता 1/7 रूपनारायण द्वारा उन्हे हाथ जोडकर समझाया कि भाईयो इस जमीन पर हमारा सैकडो साल से कब्जा चला आ रहा है इसका तुम्हे पता है तथा सबको पता है यदि कोई गलती से तुम्हारे नाम कर गया है तो उसे तहसील मे चलकर हमारे नाम करा दो इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम ना तो नाम करायेगे ना ही तुम्हे काश्त करने देगे इस जमीन से तुम्हे बेदखल कर कब्जा करके

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रहेगे तथा तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हे गॉव से भगा देगे इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी भी पूरी नही हो सकेगी। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो सायल को अपूतर्नीय क्षति होगी तथा रिलिफ चाही है कि गैरसायलान को पाबंद किया जाये।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर कर नोटिस गैरसायलान जारी किये गये गैरसायलान की तरफ से उनके वकील श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब पेश किया, जबाब प्रार्थनापत्र मे कथन किया कि सायल व अप्रार्थी नं0 6 ता 8 को इस भूमि के सम्बन्ध मे कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ये लोग इस भूमि को अपने यहॉ तथा अपने पूर्वजो के यहॉ रहन रखना बताते है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के तहत कानूनन रहन मुक्ति स्वतः ही हो जाती है। इस प्रकार इस बिन्दु पर भी सायल को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। रहन मुक्ती का आदेश दिनांक 25.02.2012 को हो गया है दिनांक 25.06.2011 को या कभी भी कोई धमकी हम गैर सायलान द्वारा सायल को नही दी गई थी। सायल ने अनावश्यक ही दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है, सायल का प्राईमाफेसी केस साबित नही है नाहि सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी तो गैर सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार संभव नही होगी तथा भूमि से वेदखल हो जायेगें। सायल भूमि विवादित का खातेदार काश्तकार नही है तथा यह भूमि गैर सायलान की खातेदारी में दर्ज है, कानूनन खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायल रूपनारायण द्वारा ही पेश किया गया है जबकि इस भूमि के गैरसायल नं0 6 ता 8 का भी क्लेम सायल ने अपने वादपत्र व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में वर्णन किया है, सायल किस हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है, यह वर्णन नही किया है तथा इसी आधार पर सायल का यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खरिज होने योग्य है। गैरसायल के वकील ने दौराने यह भी कथन किया कि नामान्करण सं0 49 दिनांक 25.02.1992 इजराय ए0एस0ओ0 साहब 1 भरतपुर के कमांक 228 दिनांक 19.02.1992 के द्वारा भरा व तस्दीक किया गया है जिसकी अपील सायल द्वारा आज तक नही की गई है तथा यह आदेश आज तक यथावत है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी/सायल खारिज किया जावे।

पत्रावली मे उपलब्ध दस्तोवेजो का अवलोकन किया गया तथा दोनो पक्षो के वकीलो की बहस सुनी गयी। भूमि विवादित के गैरसायलान खातेदार काश्तकार है तथा उनके नाम ए0एस0ओ0 भरतपुर के आदेश, इजराय के नामान्करण रहन मुक्ती का हुआ है। अतः सायलान का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner